(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा(आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 14 / 2024

पंजीकरण संख्या :– 2024 / 137

बउनवान

श्री कुंजबिहारी सिंह पुत्र डॉ. सत्यनारायण सिंह निवासी विद्यापीठ का चौराहा, गांधीमार्ग, वृंदावन(मथुरा) 281121 (उ.प्र.) मो.नं. 9528987999

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 30.08.2024

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.06.2024 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम नागदा, पटवार हल्का ठीकरिया भू.अभि.नि. क्षेत्र पलायथा, खाता संख्या नया 622 खाता संख्या पुराना 52 में स्वतः स्वीकृत नामांतरकरण : 2044 दिनांक 19.06.2024 बेचान (रजि. नं. 202403310100622) में हर्षित पंजाबी पुत्र लीलाधर पंजाबी हिस्सा 1/4 का जाति पंजाबी का खसरा संख्या 1361, 1362 क्षेत्रफल भूमि 1.1700 नहरी, 1.1300 नहरी के जिन दस्तावेजों के आधार पर जमाबंदी में नाम परिवर्तित किया गया है, उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी जो तहसीलदार, अंता द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता के पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 07.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता को जरिये सम्मन क्रमांक 1028–1029 दिनांक 12.08.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 1028–1029 दिनांक 12.08.2024 से तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.09.05 12:24:05 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित [illegible] लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता द्वारा पत्र क्रमांक/एल.आर./2024/3904–3905 दिनांक 29.08.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी [illegible] की गई है।

अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता से चाही [illegible] सूचना के संबंध में तहसीलदार, अंता द्वारा पत्र क्रमांक/एल.आर./2024/3904–3905 [illegible] 29.08.2024 से इस न्यायालय में जवाब भिजवाते हुए अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि संबंधी सूचना तहसीलदार, अंता के पत्र क्रमांक 2776 दिनांक 10.07.2024 से पूर्व में ही भिजवा दी गई है जिसमें अपीलार्थी को अवगत करवाया गया कि ग्राम नागदा, पटवार हल्का ठीकरिया भू.अभि.नि. क्षेत्र पलायथा, खाता संख्या नया 622 खाता

संख्या पुराना 52 में स्वतः स्वीकृत नामांतरकरण : 2044 दिनांक 19.06.2024 बेचान (रजि. नं. 202403310100622) में हर्षित पंजाबी पुत्र लीलाधर पंजाबी हिस्सा 1/4 का जाति पंजाबी का खसरा संख्या 1361, 1362 क्षेत्रफल भूमि 1.1700 नहरी, 1.1300 नहरी के परिवर्तन नामांतरकरण संख्या 2044 निर्णय दिनांक 19.06.2024 (बेचान) से परिवर्तन किया गया है। जमाबंदी, नामांतरकरण की फोटो प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है एवं इसके अतिरिक्त आप कोई सूचना चाहते हो तो कार्यालय समय के दिवस पर उपस्थित होकर रेकार्ड का निरीक्षण कर लेवें। इसके पश्चात् आप जो भी सूचना चाहोगे नियमानुसार उपलब्ध करायी जावेगी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार अंता द्वारा पत्रांक 3904–05 दिनांक 29.08.2024 से अपीलार्थी को अवगत करवाया कि शेष दस्तावेज सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 की धारा 8 के तहत पंजीयन, 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीबद्ध दस्तावेज छूट की श्रेणी में नहीं आते है। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के अंतर्गत पंजीकृत दस्तावेजों की प्रतियां निर्धारित शुल्क जमा करने पर कार्यालय पंजीयक शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता द्वारा पत्र क्रमांक 2776 दिनांक 10.07.2024 से अपीलार्थी को पूर्व में ही भिजवा दी गई है। उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/एल.आर./2024/3904–3905 दिनांक 29.08.2024 से इस न्यायालय में जवाब भिजवा दिया गया है जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी उपलब्ध करवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.09.05 12:24:05 IST
Reason: SelfAttested